अजमेर

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

09/21/225 रुक्मणी V/s गुलाबचन्द

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री राघवेन्द्र सिंह रावावत श्री ज्ञानचन्द रावत । से ।2	नंबर व तारीख अहकाम की तामील जारी हुए
5.4.21	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 एवं स्थगन प्रार्थना पत्र हेतु पेश हुई । विद्वान वकील अपीलांटस ने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पर बहस में कथन किया कि प्रार्थी का वाद खारिज होने पर प्रार्थी ने अपने अधिवक्ता की सलाह पर माननीय मण्डल के समक्ष निगरानी पेश की जो संधारणीय नहीं होने से आदेश दिनांक 15.12.2016 के द्वारा खारिज कर दी गई जिसमें मान0 मण्डल ने न्यायालय हाजा के समक्ष अपील पेश करने हेतु स्वतंत्रता प्रदान की है । प्रार्थी द्वारा निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर प्रार्थी के वकील द्वारा प्रार्थी से कहा कि प्रत्येक तारीख पेशी पर आने की आवश्यकता नहीं है तथा आवश्यकता होने पर सूचना देकर बुलवा लेंगे । प्रार्थी अपने अधिवक्ता के सद्भाविक विश्वास में रहा । तत्पश्चात् प्रार्थी के कमाने–खाने हेतु बाहर जाने से प्रार्थी का अपने अभिभाषक से व्यक्तिगत संपर्क नहीं हुआ तथा लापरवाही के कारण प्रार्थी के अभिभाषक द्वारा समय पर अपील पेश नहीं करवाई गई । प्रार्थी को मात्र तारीख पेशी प्रदान की गई । गत् दिनों प्रतिवादी द्वारा जब बल सहित कब्जा करने का प्रयास किया गया तो वादी को निगरानी खारिज होने की जानकारी हुई तब प्रार्थी अभिभाषक से मिलने गया तो उन्होंने इस बाबत् अनभिज्ञता प्रकट की कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है, इस पर प्रार्थी के निवेदन पर दिनांक 4.1.2021 को नकल का आवेदन कर दिनांक 4.1.2021 को निगरानी की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर एवं वाद में पारित मूल आदेश की प्रति दिनांक 12.1.2021 को प्राप्त कर प्रार्थी द्वारा आवश्यक खर्चे आदि की व्यवस्था कर दिनाक 13.1.2021 को अविलम्ब अपील प्रस्तुत की जा रही है। अपील में विलंब सद्भाविक कारणों से हुआ है । अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना न्यायोचित है । अतः अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे । विद्वान वकील अपीलांटस ने स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया कि प्रार्थी विवादित भूमि पर काबिज काश्तकार है तथा प्रार्थी के भौतिक धारण रहते हुए जबरन वर्तमान अभिलेख की प्रविष्टि के आधार पर विपक्षीगण भूमि से प्रार्थी को बेदखल करने तथा भूमि को रहन, बय, मुंतकिल करने के प्रयास में लगे हुए है । यदि अपील के लंबित रहते भूमि की मौके एवं अभिलेख की यथास्थिति बाबत् आदेश पारित नहीं किया गया तो प्रार्थीगण को भारी अपूर्णीय क्षति कारित होगी तथा प्राप्त करने में भारी असुविधा होगी । प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रार्थी का साबित है । इस कारण न्यायहित में अपील के लंबित रहते विवादित भूमि के किसी भी प्रकार के हस्तातंरण एवं कब्जे में छेड़छाड़ नहीं करने बाबत् विपक्षीगण को पाबंद किया जाना अत्यंत आवश्यक है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मौजा बड़गांव के हाल खाता संख्या 95 के खसरा संख्या 551 व 552 कुल किता 2 कुल रकबा 0.54 है0 भूमि के मौके व अभिलेख की वर्तमान स्थिति यथावत् बनाये रखने का आदेश प्रदान करावे । विद्वान वकील अपीलांटस ने अपने कथनों के समर्थन में 2018 आर0आर0टी0 (1) पेज 601, आर0आर0टी0 2018 (2) पेज 801, आर0बी0जे0 2016 पेज 679, आर0बी0जे0 2014 पेज 44, आर0आर0डी0 2008 पेज 1183, आर0आर0टी0 2002 पेज 648,	

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

09/21/225 रुकमणी v/s गुलाबचन्द

लगातार

आर0एल0डब्ल्यू0 2002 पार्ट–3 पेज 479 सुप्रीम कोर्ट, ए0आई0आर0 1998 पेज 3222, आर0आर0डी0 2020 पेज 309 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये।

विद्वान वकील रेस्पो0 ने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का लिखित जवाब पेश कर कथन किया कि अपीलांटस का यह कथन कि मान0राजस्व मण्डल में निगरानी के लिये अधिवक्ता ने सलाह दी गलत व मनगंढ़त है जो बिना साक्ष्य स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है । अपीलांटस का यह कथन असत्य है कि रेस्पो0 द्वारा दल बल से कब्जा करने का प्रयास किया गया तो अपीलांट को निगरानी खाजिर होने की जानकारी हुई तथा अपीलांट अधिवक्ता से मिलने गया तो उन्होनें अनभिज्ञता प्रकट की कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है क्योंकि मान0 राजस्व मण्डल द्वारा निगरानी दिनांक 15.12.2016 को खारिज की गई जिसकी पूर्णरूप से जानकारी अपीलांट एवं उसके अधिवक्ता को थी । यदि रेस्पो0 द्वारा कब्जे का प्रयास किया गया होता तो इस बाबत् अपीलांट द्वारा पुलिस थाना में एफ0आई0आर0 या सक्षम न्यायालय में चाराजोही की जाती किन्तु अपीलांटस द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है । अपीलांट की निगरानी का सन् 2016 में निस्तारण हो जाने के पश्चात् एवं अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 5.3.2012 के विरूद्ध भारी मियाद बाहर लगभग 9 वर्षो के विलंब उपरांत यह अपील पेश की है जो मियाद बिन्दू पर ही निरस्तनीय है । बहस में आगे कथन किया कि अपीलांटस द्वारा विलंब के जो कारण अंकित किये गये है वे उचित एवं सद्भाविक नहीं माने जा सकते है क्योंकि धारा 5 मियाद अधि0 के तहत प्रत्येक दिन की देरी का स्पष्ट कारण देना होता है जबकि अपीलांट ने अपने आवेदन पत्र में अपील में हुई भारी मियाद के संबंध में कोई स्पष्ट एवं संतोषजनक कारण उल्लेखित नहीं किये है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 खारिज कर अपील मियाद बिन्दु पर ही खारिज की जावे ।

स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया कि रेस्पो0 विवादित आराजियात के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होकर मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है इसलिये अपीलांट को बेदखल करने का प्रयास किया गया हो, किया गया कथन असत्य है । विवादित आराजियात से अपीलांटस का कोई संबंध नहीं है । प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के तीनों ही बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित है । अप्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार होकर मौके पर काबिज काश्त है जिसे किसी भी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है ।

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांटस ने प्रार्थना पत्र में विलंब के कारण अंकित किये है कि मान0 मण्डल में निगरानी खारिज किये जाने की सूचना उनके अधिवक्ता द्वारा उन्हें नहीं दी गई जिससे समयावधि में जानकारी नहीं हो सकी थी किया गया कथन उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि अपने प्रकरण की जानकारी रखने का दायित्व स्वंय पक्षकार का भी होता है । अपीलांटस ने रेस्पो0 द्वारा विवादित आराजियात से बदेखल करने का प्रयास किये जाने पर होने का कथन किया किन्तु किस पक्षकार द्वारा किस दिनांक को बेदखल करने की कार्यवाही की गई अपीलांटस ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया है । अपीलांटस ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 5.3.2012 के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष अपील दिनांक 13.1.2021 को पेश की है जो लगभग 9 वर्ष की मियाद बाहर पेश की गई है । मान0 राजस्व मण्डल ने अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत निगरानी दिनांक 15.12.2016 को खारिज की जिसमें अपीलांटस को सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने

3/21/225 रुकमणी V/S गुलाबचन्द

लगातार	की स्वतंत्र प्रदान की है किन्तु अपीलांटस द्वारा मान0 मण्डल के निर्णय दिनांक 15.12.2016 के उपरांत भी लगभग 4 वर्ष के विलंब से हस्तगत अपील पेश की है तथा विलंब के समुचित एवं ठोस कारण अंकित नहीं किये है । अपीलांटस द्वारा विलंब के संबंध में समुचित तथा ठोस कारण प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किये जाने से अपील में हुए विलंब को क्षम्य नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 निरस्त किया जाता है । अतः अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 खारिज किये जाने से अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बिन्दु पर खारिज की जाती है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो । 5/4/2021 राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	